

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, बरेली वृत्त, बरेली।
पत्र संख्या:- 4257 / 14-1, बरेली, दिनांक, 20 / मई / 2017.
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय - बदायूँ में पीलीभीत-बरेली-भरतपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-33) के चैनेज कि०मी० 102.115 से 113.00 (चैनेज किमी० 102.115 है० से 114.20 तक) 04 लेनविद पेड्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु 13.29 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थापित 2604 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:- आपकी पत्र संख्या- मेमो०/बदायूँ/23699/2017 दिनांक 18.05.2017.

महोदय,

निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रभागीय निदेशक, सा०वा०प्रभाग, बदायूँ ने अपनी पत्र संख्या- 2716/14-1 दिनांक 19.05.2017 से अवगत कराया है कि उनके स्तर से इंगित आपत्तियों का आनलाईन निराकरण कर दिया गया है जो निम्न प्रकार है:-

- 1- प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेख यथा- व्यय होने वाली धनराशि, के०एम०एल० फाईल, संशोधित प्राकलन आदि को आनलाईन पार्ट-2 के बिन्दु- 13 पर अपलोड कर आनलाईन पार्ट-2 की संशोधित प्रति संलग्न की जा रही है।
- 2- क्षतिपूरक वनीकरण की के०एम०एल० फाईल संलग्न की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विषयक प्रस्ताव पर अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- प्रस्ताव 03 प्रति में।

भवदीय,

(वी०के० सिंह)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
सा० वा०, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:- (1)/14-1, दिनांकित।

1- प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बदायूँ को उनकी पत्र संख्या- 2716/14-1 दिनांक 19.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बदायूँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी०के० सिंह)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
सा० वा०, बरेली वृत्त, बरेली।